चुनाव सुधार और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका एक विश्लेषण

दौलत पटेल
शोध केन्द्र – शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

शोध पत्र का सारांश

हमारा यह संवैधानिक कर्तव्य है कि हम संवैधानिक सिद्धांतों और उद्देश्यों को संरक्षित एवं संवर्तित करें। अतः लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि राजनीति को अपराधियों से मुक्त रखा जावे और ऐसे व्यक्ति लोक जीवन में प्रवेश करें और विधि बनाने का कार्य करें जिनके उपर किसी गंभीर अपराध का आरोप न हो। अतः इस परिकल्पना को अमलीजामा पहनाने के लिये आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में जल्द से जल्द विधि बनाकर राजनीति के अपराधीकरण को रोका जावे।

कुंजी शब्द

भारतीय संविधान, राजनीति का अपराधीकरण, चुनाव सुधार, संवैधानिक सिद्धांत, संविधानवाद

इस शोध पत्र का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान समय में दिये गये निर्णयों का विश्लेषण करना एवं उसके आधार पर चुनाव के सम्बन्ध में चुनावों के सुधारों का सुझाव प्रस्तुत करना है।

• शोधार्थी, विधि संकाय, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, शोध केन्द्र – शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर

शोधार्थी, विधि संकाय, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, शोध केन्द्र – शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर

वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय सभी राजनीतिक दलों को और विधानसभा, लोकसभा उम्मीदवारों के सम्पूर्ण अपराधिक इतिहासवृत्त को प्रकाशित करने के आदेश जारे किये हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129[1] और 142[2] के अन्तर्गत जारी किये गये हैं। यह दिशा–निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीति में बढ़ते हुए अपराधों के परिप्रेक्ष्य में जारी किये हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण वाद पब्लिक इंट्रेस्ट फाउन्डेशन विरूद्ध भारत[3] संघ के मामले में राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए। इस मामले में निर्णय दिया है। इस मामले में ऐसे राजनीतिक दल जो अपनी वेबसाईट और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में अपने उम्मीदवारों की जानकारी और उनके अपराधिक विवरण प्रकाशित एवं सार्वजनिक नहीं करते हेतु उनके विरूद्ध अवमानना याचिका दायर की गई थी जिसमें न्यायालय ने निर्धारित किया है कि भारत में राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण और

[1] अनुच्छेद 129, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना – उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसकी अपने अवमान के लिये दण्ड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी।

[2] अनुच्छेद 142, उच्चतम न्यायालय की डिग्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश – 1) उच्चतम न्यायालय अपनी अधकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिये आवश्यक हो और इस प्रकार पारित डिग्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सवृत्र ऐसी रीति से, जो सांसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाये, और जब तक इस निमित इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक, ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश[3] द्वारा विहित करे, पवर्तनीय होगा।

[3] W.P. No. 536 of 2011

नागरिकों के बीच इस तरह के अपराधीकरण के बारे में जानकारी की कमी है। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव से पहले अपने उम्मीदवार के चयन के कारण में उम्मीदवार की योग्यता और उसकी उपलब्धियाँ होनी चाहिए न कि चुनाव में उसके जीतने की संभावना।

उम्मीदवारों से सम्बन्धित सूचना को एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित होना चाहिए तथा फेसबुक और टयूटर सहित राजनीतिक दलों की अधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी उपलब्ध कराना चाहिए।

इन सूचनाओं को उम्मीदवार चयन के 48 घंटों के भीतर या नामांकन दाखिल करने की दिनांक कम से कम 2 सप्ताह पहले जो भी पहले हो प्रकाशित करना होगा।

सम्बन्धित राजनीतिक दल उम्मीदवार चुनने के 42 घंटों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेगा। अगर कोई राजनीतिक दल अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो निर्वाचन आयोग अनुपालन नहीं किये जाने का संज्ञान लेते हुए अवमानना के रूप में उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों को लेकर आयेगा।

उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2002 और 2003 में भी यह अभिमत व्यक्त किया कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार अपने खिलाफ लंबित अपराधिक मामलों के सम्बन्ध में अपना शपथ–पत्र किसी भी न्यायालय में दे सकते हैं। हालांकि वर्ष 2002–2023 में न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय महत्वपूर्ण थ तथा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म द्वारा चुनावी सुधार के प्रयासों के बावजूद

3

भी पार्टियों और मतदाताओं पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि आज भी लोकसभा में 40 फीसदी से अधिक सदस्यों के खिलाफ मामले दर्ज हैं जबकि वर्ष 2004 में संसद के 24% सदस्यों के खिलाफ अपराधिक मामले लंबित थे जो वर्ष 2009 में 30% हो गये तथा 2014 में 34% हो गये। इन मामलों में उल्लेखित तथ्य यह भी है कि यह सभी निर्वाचित सदस्य जघन्य अपराधों के अपराधी हैं और साथ ही 80% से अधिक सदस्य करोड़पति की कोटि में आते हैं।

उपरोक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि बाहुबल और धनबल आज की राजनीतिक प्रणाली का एक हिस्सा बन गया है और हमारी लोकतंत्र प्रणाली एक धनिक तंत्र बनकर रह गई है। भले ही यह राजनीतिकों के विरूद्ध ये अपराध और इरादतन अपराध न भी हों। मतदाता का व्यवहार भी अक्सर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार होता है चूंकि मुफ्त की वस्तुओं का वितरण पैसा, उपहार आदि की रेवड़ियाँ आदि का मिल जाना सभी तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप है क्योंकि आज का मतदाता मुफ्त की वस्तुओं की मांग करने लगा है जो अच्छी बात नहीं है।

लिली थॉमस बनाम भारत संघ[4] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था कि अगर कोई सांसद या विधायक किसी अपराध के लिये दोषी पाया जाता है तो उसे न्यूनतम 2 वर्ष का कारावास दिया जायेगा और वह अपनी सदस्यता तत्काल प्रभाव से खो देगा तथा जेल की अवधि समाप्त होने के बाद 6 वर्ष के लिये चुनाव लड़ने के लिये वंचित होगा।

4

4

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक दल मौजूदा दौर में चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट देते हैं जिसे धनबल और बाहुबल को बढ़ावा मिलता है जिससे हमारा लोकतंत्र पैसे वालों एवं अपराधियों से युक्त तंत्र बनता जा रहा है। इन दोनों समस्याओं में तत्काल सुधार किये जाने की आवश्यकता है और इस सम्बन्ध में सरकार के तीनों तंत्र विधानपालिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका द्वारा प्रयास किये जाने की आवश्यकता है जिससे हमारा लोकतंत्र देश की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति संविधानिक भावना के अनुरूप पूरी कर सके।

संवैधानिक सिद्धांतों को बनाये रखने एवं संरक्षित करने की शपथ लेने के बाद सरकार के संवैधानिक अंगों की यह जिम्मेदारी है कि संविधान के ढ़ांचे को पूरी तरह से सुरक्षित रखे। भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तथा भारतीय राजनीति में अपराध का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है तथा संवैधानिक लोकाचारों की संस्कृति समाप्त होती जा रही है।

अतः इन सभ चीजों को रोकना हमारा कर्तव्य है और यही समय है कि संसद एक ऐसा कानून लेकर आये कि जो जिन व्यक्तियों के जिनके उपर गंभीर अपराध के आरोप चल रहे हैं वे चुनाव की मुख्य धारा में प्रवेश न कर पाये।

अगर ऐसे लोग जो लोक जीवन में प्रवेश करते हैं और कानून बनाने का कार्य करते है तो निश्चय ही उनही सोच विधि को प्रभावित करेगी अतः उनके उपर किसी प्रकार का कोई गंभीर अपराध का आरोप नहीं होना चाहिए। आज देश को ऐसे कानून का इंतजार है क्योंकि समाज यह आशा करता है कि संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण एवं संवर्तन होना चाहिए क्योंकि आज का

मतदाता संविधानिक संस्कृति और संविधानवाद के सिद्धांतों की ओर दृष्टि गढ़ाये हुए हैं और वह अपने आपको उस समय ठगा सा महसूस करता है जब धनबल और बाहुबल सर्वोच्च संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करता है। अतः देश में अपराध से दूषित हो रही राजनीति में सफाई की आवश्यकता है और यह तभी हो सकता है जब हम अपराधियों को चुनाव लड़ने पर रोक लगा सके।

संदर्भ ग्रंथ :–

1) Constitutional Law of India, By H.M. Seervei, 3rd Edition, N.M. Treepathi Private Limited, Bombay, 1984

2) भारत का संविधान, जयनारायण पाण्डे, 41वां संस्करण, प्रकाशक–सेन्ट्रल लॉ एजेंसी, अलाहाबाद

3) Constitutional Law, By Mamta Rao, 2nd Edition, Estern Book Company, 2021.

4) शोध प्रविधि, देवशंकर नवीन

.......0........

6